



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:20622

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 12581/2024

हासिम अली

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊके माध्यम से

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: आलोक कुमार मिश्रा, अंजलि पांडे, स्मृति

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्मृति की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पुष्कर शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 0297/2024, धारा 307 और 364 भा0दं0सं0, पुलिस स्टेशन बिलग्राम, जिला हरदोई में आरोपी आवेदक की ओर से दायर की गई है।
3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 जून 2024 को लगभग 3.58 बजे शाम को शिकायतकर्ता ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई कि उसका बेटा अल्तमस शाम लगभग 7 बजे गांव की दुकान पर समोसा खाने गया था, जहां से वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद, जांच करने पर अल्तमस बरामद हुआ। धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत दिए गए बयान में अल्तमस ने बताया कि समोसा खाने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो हासिम (आवेदक) और उसके साथी ने उसे शराब की दुकान से उठाया और एक वाहन में बिठाकर ले गए। इसके बाद आवेदक ने उसे वाहन से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद अल्तमस बेहोश हो गया। इसके बाद, एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को पुलिस स्टेशन ले आया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। फर्द बरामदगी में आवेदक का नाम आया है। आवेदक के परिवार की शिकायतकर्ता के परिवार से शत्रुता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह-आरोपी शमीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 21.10.2024 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8517/2024 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह वचन देता है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा। अतः, आवेदक को जमानत दी जाए।

5. **इसके विपरीत**, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़ोरदार ढंग से ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया और यह दलील दी कि मौजूदा आवेदक की भूमिका सह-आरोपी शमीम से अलग है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ज़मानत दी जा चुकी है।
6. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, आरोप की प्रकृति और दोषी पाए जाने पर सज़ा की गंभीरता, सहायक सबूतों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है ।
8. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक—**हासिम अली** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:—
 - 1) आवेदक, जाँच या विचारण के दौरान, गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर या किसी अन्य प्रकार से अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - 2) आवेदक को एक वचन देना होगा कि गवाही के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह अदालत में मौजूद हों, तो वह सुनवाई टालने की कोई गुज़ारिश नहीं करेगा। उसे सुनवाई की हर तय तारीख पर चाहे वह खुद आए या अपने अधिवक्ता के ज़रिए विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहना होगा । अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
 - 3) आवेदक को (i) केस शुरू करने, (ii) चार्ज फ्रेम करने और (iii) सेक्शन 313 दंड प्रक्रिया संहिता. के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहना होगा; और
 - 4) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A के तहत कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

9. ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी, और यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो निचली अदालत को ज़मानत रद्द करने और आवेदक को जेल भेजने का अधिकार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ पूरी तरह से इस ज़मानत अर्ज़ी के निपटारे तक ही सीमित हैं, और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

20 मार्च 2026

शुक्ला

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)